न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/6247/2002/भरतपुर

1 सांवलसिंह पुत्र प्यारे (फौत) जरिये वारिसान
1/1 महेशचन्द पुत्र सांवलसिंह
1/2 श्रीमती राधा पुत्री सावलसिंह पत्नी परसराम
1/3 श्रीमती विमलेश कुमार पुत्री सांवलसिंह पत्नी बापूलाल सभी जाति जाटव निवासी बडा मौहल्ला तहसील भरतपुर
2 पदमसिंह पुत्र प्यारे
3 शेरसिंह पुत्र प्यारे
4 दौलत पुत्र प्यारे
5 प्रमोद पुत्र श्यामलाल नाबालिग
6 खेमचन्द पुत्र श्यामलाल नाबालिग
7 राजेश पुत्र श्यामलाल नाबालिग, नाबालिगान वविलायत माता मुं0 नहनी पत्नी श्यामलाल जाटव सभी जाति जाटव निवासीगण बडा मोहल्ला तहसील व जिला भरतपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 गिर्राज शरण उर्फ गिरीश शरण
2 शंकरलाल
3 कुंज बिहारी पुत्रान तेजपाल जाति जाटव निवासीगण बडा मोहल्ला तहसील व जिला भरतपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री खडगसिंह वकील अपीलार्थीगण
श्री इकबाल मोहम्मद वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 28.8.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 8/2001 में दिनांक 5.9.2002 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलार्थीगण ने एक वाद धारा 88, 89 व 188 अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध सहायक कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गत आराजीखसरा नम्बर 879 व 881 जिनके हाल खसरा नम्बर 1342 रकबा 66 एयर वाके मौजा गोलपुरा वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। वादीगण ने वादपत्र में सजरा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात अन्य आराजी खसरा नम्बर 882, 883, 885, 886 के साथ वादीगण के बाबा छोटेलाल के खातेदारी की थी। छोटेलाल के तीन पुत्र तेजपाल, पुन्नी एवं प्यारे हुए। वादीगण प्यारे के वारिसान हैं। छोटेलाल ने विवादित आराजीयात का बंटवारा कर साबिक खसरा नम्बर 879 व 881 जिनके हाल खसरा नम्बर 1342 है, वादीगण के पिता को काश्त के लिए दे दी। सम्वत 2016 से आज तक वादीगण उक्त आराजीयात पर काबिज चले आ रहे हैं, लगान अदा कर रहे हैं। किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज हो गई। अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 4.1.2000 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 5.9.2002 से खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात पूर्व में छोटेलाल के खातेदारी की होना साक्ष्यों राजस्व अभिलेख से साबित है। छोटेलाल के तीन पुत्र तेजपाल, पुन्नी एवं प्यारे हुए। इसका खण्डन नहीं किया गया है। छोटेलाल ने विवादित आराजीयात का बंटवारा कर साबिक आराजी खसरा नम्बर 879 व 881 वादीगण के पिता प्यारे को दे दी। इसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। छोटेलाल के तीनों पुत्रों व उनके वारिसान में कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन नहीं किया है। राजस्व अभिलेख से वाद साबित कराया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिलेख को देखे बिना ही निर्णय दिया है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने इस अपील के साथ नामान्तरकरण संख्या 19, खसरा टीप सम्वत 2004, जमाबन्दी सम्वत 2011 प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात पैतृक होना कथन किया है। पक्षकारान ने आपसी राजीनामा हो जाना कथन किया है एवं राजीनामा नोटेरी से तस्दीक कराकर प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

2. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपील स्वीकार कर वादीगण का वाद डिक्री किये जाने की सहमति प्रकट की है।

3. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि विवादित आराजी वादीगण के पिता के नाम दर्ज होने की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा प्रवितादीगण के नाम खातेदारी किस प्रकार से दर्ज हुई साबित नहीं कराया गया है, वादीगण का वाद साबित नहीं मानकर खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी सम्वत 2015 में वादीगण के पिता का नाम अंकित नहीं है, तेजपाल व पुन्नी के नाम अंकित है, मानकर अपील खारिज की है।

5. विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख में मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 2062 में साबिक खसरा नम्बर 879, 881 के नवीन खसरा नम्बर 1342 व साबिक खसरा नम्बर 886 के नवीन खसरा नम्बर 1344 बनना साबित होता है। जमाबन्दी सम्वत 2043 से 2062 में विवादित नवीन खसरा नम्बर 1342 व 1344 गिर्राज शरण, शंकरलाल व कुन्ज विहारी पिता तेजपाल के खातेदारी में दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 49 के अवलोकन से यह सपष्ट है कि छोटेलाल की विरासत से तेजपाल, पुन्नी, प्यारे पिसरान छोटे बहिस्सा बराबर से स्वीकार किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2015 में कालम संख्या 4 नाम भूमि अधिकारी के कालम में खिच्चू वल्द पन्ना निस्फ छोटे वल्द गेगोल निस्फ कौम चमार माफीदार माफी देनराज तथा कालम संख्या 5 नाम कृषक के कालम में तेजपाल, पुन्नी अपठित पिसरान छोटे व बहिस्सा दर्ज है। वादीगण अपीलार्थीगण ने अपनी वाद में यह स्पष्ट कथन लिया है कि विवादित आराजीयात छोटेलाल की थी तथा छोटेलाल के तीन पुत्र तेजपाल, पुन्नी व प्यारे हुए। नामान्तरकरण संख्या 49 से यह भी स्पष्ट है कि छोटेलाल की विरासत का नामान्तरकरण उसके तीनों पुत्रों तेजपाल, पुन्नी व प्यारे के नाम स्वीकृत हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 2015 में तेजपाल, पुन्नी के साथ अपठित अंकित है जो प्यारे ही है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2015 में तेजपाल, पुन्नी के साथ प्यारे के खातेदारी में दर्ज रही है। वादीगण प्यारे के वारिस हैं।

6. प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय में व प्रथम अपीलीय न्यायालय में वादी अपीलार्थीगण का विरोध नहीं किया है तथा न ही जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया है। यहां द्वितीय अपील में हमारे समक्ष पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाना कथन करते हुए राजीनामा नोटेरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया है। हालांकि पक्षकारान ने आपसी राजीनामा होना कथन किया है परन्तु यह यह राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक नहीं कराया गया है जिससे नोटेरी से प्रमाणित इस राजीनामा को निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता। प्रत्यर्थीगण के विद्वान

अभिभाषक ने बहस के दौरान वाद स्वीकार करने की सहमति अवश्य दी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वादीगण का वाद साबित होता है। जिससे हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 5.9.2002, सहायक कलक्टर, भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 4.12.2000 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीगण अपीलार्थीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम गोलपुरा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1342 रकबा 66 एयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष